आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश संख्याःडीजी–चार–स्था0–(446)/2023/810 दिनांक 29.06.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112433664 रमेश कुमार यादव** का कमि0 कानपुर नगर से कमि0 लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्याःत–377/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमि0 लखनऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरूद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में **रिट याचिका संख्याः 3659/2024 मुख्य आरक्षी ना0पु0/112381312 सौरभ कुमार व 07 अन्य, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक **07.03.2024** को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 व 29.06.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक **07.03.2024** द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः5001/आठ–1–86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112433664 रमेश कुमार यादव** द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक **07.03.2024** को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112433664 रमेश कुमार यादव** को कमिश्नरेट कानपुर नगर से अयोध्या परिक्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के **कार्यवृत्त सूची संख्याःएएसपी–(ई–1)–(जनहित/मा0 उच्च न्याया0)–444/2024 दिनांक 10.07.2024** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मी का गृह जनपद इलाहाबाद है।

DGP HQRS UP LKW
DG-IV-STHA-(444)2024/1250 DT 10-07-2024

10/7/24

(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–चार–स्था0–(444)/2024/1250 **दिनांकःजुलाई 10, 2024**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2 पुलिस महानिरीक्षक, अयोध्या परिक्षेत्र, अयोध्या को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश संख्याःडीजी–चार–स्था0–(291)/2023/563 दिनांक 27.05.2023 द्वारा समयावधि पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112419136 रनवीर सिंह** का कमि0 कानपुर नगर से कमि0 लखनऊ स्थानांतरण किया गया था, जिसके अनुपालन में पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर के आदेश संख्याःत–120/2023 दिनांक 10.01.2024 द्वारा विलम्ब से उक्त मुख्य आरक्षी को कमिश्नरेट कानपुर नगर से कमिश्नरेट लखनाऊ हेतु स्थानांतरण पर कार्यमुक्त किये जाने के विरूद्ध उच्च न्यायालय इलाहाबाद में **रिट याचिका संख्याः 3659/2024 मुख्य आरक्षी ना0पु0/112381312 सौरभ कुमार व 07 अन्य, कमिश्नरेट कानपुर नगर बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य** योजित की गयी थी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक **07.03.2024** को सुनवाई के उपरान्त स्थानांतरण आदेश दिनांक 27.05.2023 व 29.06.2023 एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 10.01.2024 को पारित आदेश दिनांक **07.03.2024** द्वारा **quashed** करते हुए याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान की गयी है।

उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्याः5001/आठ–1–86 दिनांक 11.07.1986 में निहित निर्देशानुसार **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112419136 रनवीर सिंह** द्वारा कमिश्नरेट कानपुर नगर की समयावधि 10 वर्ष से अधिक पूर्ण कर लिये जाने के फलस्वरूप उक्त रिट याचिका में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक **07.03.2024** को पारित किये गये आदेश द्वारा उक्त याची की सेवाओं की विभागीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत नियमानुसार स्थानांतरण किये जाने की छूट प्रदान किये जाने के समादर में **मुख्य आरक्षी ना0पु0/112419136 रनवीर सिंह** को कमिश्नरेट कानपुर नगर से आगरा परिक्षेत्र स्थानांतरित किया जाता है। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के **कार्यवृत्त सूची संख्याःएएसपी–(ई–1)–(जनहित/मा0 उच्च न्याया0)–444/2024 दिनांक 10.07.2024** में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है। कर्मी का गृह जनपद फर्रूखाबाद है।

DGP HQRS UP LKW

DG-IV-STHA-(444)2024/1251 DT 10-07-2024

10/7/24

(राहुल मिश्रा)
अपर पुलिस अधीक्षक, स्थापना,
निमित्त पुलिस उप महानिरीक्षक, कार्मिक
उ0प्र0 लखनऊ।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

चतुर्थ तल,(द्वितीय टावर), पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, शहीद पथ, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी–चार–स्था0–(444)/2024/1251 **दिनांकःजुलाई 10, 2024**

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी को 10 दिवस के अन्दर कार्यमुक्त करते हुए सर्वसम्बन्धित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

2 पुलिस महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र, आगरा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उक्त कर्मी के आगमन की सूचना से सर्वसम्बंधित सहित इस मुख्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि कोई प्रशासनिक/नीतिगत बाधा हो तो तत्काल इस मुख्यालय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>**संख्या तथा दिनांक वही**</u>

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषितः–

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।